

क्रमांक: प. १ (२) वन / 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

जायपुर, विनाका

127 JAN 2021

**प्रियजनः—Diversion of 0.5004 ha. forest land in favour of Public Work Department
for Construction of CC. road from Triveni road to Brahmani Mata
Temple (FP/RJ/ROAD/35959/2018)**

संक्षेप:-आपका पत्रांक एफ 14()2018/जगपुर रोडस/एनसीए/प्रमुखस/3724 दिनांक 22.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत रांदर्भित प्रस्ताव में अधिकारी अगियन्ता, सार्वजनिक निर्माण किमांग, जिला खण्ड, शाहपुरा द्वारा वन रांखण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्थीकृति के तहत धारा-2 में प्राप्त व्यवस्था देवीपुरा में नवीन राडक योजनान्तर्गत त्रिवेणी राडक से ब्रह्माणी गाता मन्दिर सी.सी. राडक निर्माण कार्या हेतु 0.5004 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्थीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन रांखण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन रांखण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्थीकृति बावत जारी दिशा—गिर्दशों के परिषेक्य में Diversion of 0.5004 ha. forest land in favour of Public Work Department for Construction of CC. road from Triveni road to Brahmaji Mata Temple (FP/RJ/ROAD/35959/2018) की सीद्धान्तिक स्थीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
 - प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
 - याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसा पारा के क्षेत्र की वनरपतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समरत उपाय किये जायेंगे।
 - प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की विना पुर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/रटाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा एवं खुले जंगल में आग नहीं जलायी जायेगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजदूरों/रटाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
 - मंदिर परिसर एवं क्षेत्र में प्लास्टिक, कैरी बेग का उपयोग नहीं किया जायेगा। *
 - पेड़-पोधों की छंगाई नहीं की जायेगी।
 - लाऊड स्पीकर/डी.जे. का उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि रो/पर निर्माण कार्य के दौरान गिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
 - प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य रो 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को सामाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक

कार्यालय पता:- वन विमानग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, राष्ट्रीयालय, राजस्थान जापपुर, दुर्गापुर राज्य- 0141-2222222

Mail ID: ads.forest@rajasthan.gov.in

Principal Approval/Diversion/ IT: Gary Forest/Alau Instruments FCB/Stage 1

05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जाएँगी। इनके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जगा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति राहित रौद्रान्तिक र्सीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतारी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन द्रिव्यनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मवदीय,

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)।
6. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, शाहपुरा, जयपुर-302006
7. रक्षित पत्रावली।

(जगद्वीश लाल मीणा)
(शुभम जन)
भूमध्यक्ष शासन सचिव
विशेषाधिकारी, वन

नव्य